

बिहार सरकार
परिवहन विभाग


अधिसूचना

संख्या- स्था0-42/94 परि0- 6066 / पटना, दिनांक- 07.11.2014

मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (एक्ट नम्बर-59 ऑफ 1988) की धारा-68 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त धारा की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में अगले आदेश तक के लिए नियुक्त करते हैं-

1. सदस्य राजस्व पर्वद, बिहार - अध्यक्ष
 2. राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार - सदस्य सचिव
 3. प्रो० दिलिप कुमार सिंह - गैर सरकारी सदस्य
पिता- स्व. सियावरण शरण सिंह,
खुदीराम बोस कॉलेज, कोल्हुआ,
दादर, जीरोमाईल, अहियापुर,
मुजफ्फरपुर, बिहार ।
 4. श्रीमती गीता कुमारी - गैर सरकारी सदस्य
पति- श्री विजय कुमार,
कृष्ण विहार कॉलोनी, बेऊर,
पो०- अनिसाबाद, पटना-2
 5. श्री डॉ० राजेन्द्र प्रसाद सिंह चन्द्रवंशी - गैर सरकारी सदस्य
पिता- श्री धरीक्षण सिंह,
मो०- महाजन टोली नं०-1,
सदर अस्पताल रोड, आरा,
जिला- भोजपुर, बिहार ।
2. एतद् सम्बन्धी पूर्व की सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक अवक्रमित की जाती हैं ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के अपर सचिव,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- स्था0-42/94 परि0- 6066

/ पटना, दिनांक- 07.11.2014

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा - उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि गजट की 100 प्रतियाँ कार्यालय व्यवहारार्थ कृपया प्रेषित की जाय।

27/11/14
सरकार के अपर सचिव,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- स्था0-42/94 परि0- 6066

/ पटना, दिनांक- 07.11.2014

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार/ सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सभी गैर सरकारी सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग/ सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/ सभी मोटरयान निरीरक्षक/ सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/ रक्षित संचिका/स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/11/14
सरकार के अपर सचिव,
बिहार, पटना ।